पत्रांक –3/एम०– 117 /2011सा०8841/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 20.06. 2012

विषयः– प्रशासन तथा संसद एवं राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी काम–काज की उचित कार्यविधि के अनुपालन और सांसदों/विधायकों/पार्षदों के साथ शिष्टतापूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र संख्या – 3124 दिनांक 24.03.56

" परिपत्र संख्या – 3125 दिनांक 24.03.56
" परिपत्र संख्या – 8396 दिनांक 28.06.57
" परिपत्र संख्या – 12912 दिनांक 10.09.62
" परिपत्र संख्या – 5177 दिनांक 20.04.63
" परिपत्र संख्या – 7017 दिनांक 15.06.64
" परिपत्र संख्या – 10115 दिनांक 25.08.64
" परिपत्र संख्या – 2032 दिनांक 11.02.67
" परिपत्र संख्या – 14299 दिनांक 25.09.67
" परिपत्र संख्या – 8701 दिनांक 17.05.75

महोदय,

निदेशानुसार नियुक्ति विभाग एवं कार्मिक विभाग के उपर्युक्त प्रासंगिक परिपत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का जनप्रतिनिधि होने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें संविधान के अधीन महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करने के क्रम विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क करने अथवा पत्राचार करने की आवश्यकता होती है। इस विषय में संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों/पदाधिकारियों के बीच सम्बन्धों को शासित करने सम्बन्धी कुछ सामान्य सिद्धान्त एवं प्रथायें पूर्व से निरूपित हैं, जिनके सम्बन्ध में समय–समय पर उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा अनुदेश निर्गत किये

गये हैं। इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 25/19/64 स्थापना(क), दिनांक– 08.11.74 द्वारा मार्गदर्शन हेतु विस्तृत अनुदेश जारी किया गया है, जिसे परिपत्र संख्या–8701 दिनांक 17.05.75 द्वारा, उक्त अनुदेशों के पूर्णतः अनुपालन हेतु, परिचालित किया जा चुका है। तथापि उक्त अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निम्नवत् बिन्दुवार ध्यान आकृष्ट कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है–

(1) संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ कार्यव्यवहार में निम्नांकित दो मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए– (i) सरकारी कर्मचारियों/पदाधिकारियों को संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ विनम्रता तथा शिष्टाचार का बर्त्ताव करना चाहिए तथा (ii) संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना एवं उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए।

(2) प्रत्येक कर्मचारी/पदाधिकारी को संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को उनके संवैधानिक कार्यों के सम्पादन में भरसक सहायता करनी चाहिए, किन्तु किसी सदस्य के अनुरोध अथवा सुझाव को मानने में असमर्थता की स्थिति में अपनी असमर्थता के कारणों को उन्हें विनम्रतापूर्वक स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

(3) प्रत्येक कर्मचारी/पदाधिकारी को संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को उनसे मिलने के लिए आने पर अन्य आगंतुकों के स्थान पर प्राथमिकता देनी चाहिए। बिना समय लिये हुए मिलने हेतु आये सदस्य से यदि अपरिहार्य कारणों से तुरंत मिलना सम्भव नहीं हो सके तो उन्हें विनम्रतापूर्वक स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए एवं उनके परामर्श से मिलने का समय शीघ्र निर्धारित करना चाहिए। मिलने हेतु प्रतीक्षा अवधि में सदस्यों के सुविधाजनक ढंग से बैठने हेतु स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(4) संसद सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के सदस्य के मिलने आने पर कर्मचारी/पदाधिकारी को अपने स्थान से उठकर उनका स्वागत करना चाहिए एवं उनके जाते समय भी उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए विदा करना चाहिए। विनम्र व्यवहार का अपना प्रतीकात्मक मूल्य होता है, अतः कर्मचारियों/पदाधिकारियों को संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार में अत्यधिक सचेत एवं शिष्ट होना चाहिए।

(5) संसद सदस्यों की स्थिति को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किये गये पूर्वता अधिपत्र (वारंट ऑफ प्रेसीडेन्स) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और उन्हें सचिवों आदि से ऊपर रखा गया है। अतः यदि राज्य में आयोजित राजकीय समारोह अथवा बैठकों में संसद सदस्य आमंत्रित किये जाते हैं तो उनके बैठने का स्थान राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि के तुरंत बाद एवं सचिवों से आगे रखा जाना चाहिए। जहाँ समारोहों/बैठकों में संसद सदस्य एवं राज्य विधान मंडल के सदस्य दोनों आमंत्रित हों वहाँ राज्य विधान मंडल के सदस्यों का स्थान संसद सदस्यों के तुरत बाद रखा जाना चाहिए।

समारोहों/बैठकों में आमंत्रित उक्त सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। देर से आने अथवा उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में भी उनके लिए आरक्षित सीटों को समारोह/ बैठक के अंत तक आरक्षित रखा जाना चाहिए, भले ही वे खाली क्यों न रह जायें।

(6) (i) संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग के प्रभारी मंत्री से अनुरोध करना चाहिए। तथापि, यदि संसद सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा विभागाध्यक्षों अथवा जिला के अधिकारियों से सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु सीधे पत्राचार किया जाता है, तो ऐसे पत्रों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपने विभाग से सम्बन्धित ऐसी सूचना, जिसे दिया जाना उनके प्राधिकार में हो, लिखित रूप में शीघ्रता से उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। ऐसी सूचनायें जो गोपनीय हों अथवा जिन्हें उपलब्ध कराना अत्यधिक श्रम–साध्य हो, उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकने की स्थिति में सदस्य को विनम्रतापूर्वक सूचित किया जाना चाहिए।

(ii) सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजते हुए उन्हें एक अन्तरिम उत्तर तत्काल दिया जाना चाहिए।

(iii) सदस्यों द्वारा सरकारी सूचनायें मौखिक रूप से माँगे जाने की स्थिति में ऐसी अतिसामान्य सूचनायें, जिनमें नीतिविषय अथवा सरकार की कोई प्रतिबद्धता समाहित न हो, विनम्रतापूर्वक दी जा सकती है।

अनुरोध है कि इसे अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों के ध्यान में लाया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

20.6.11

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।